न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
28 / 18	एफएसएस एक्ट, 2006	04 / 07 / 2018

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।
–आवेदक

बनाम

1. खेमचन्द्र गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता उम्र 51 वर्ष निवासी महेन्द्र उद्योग एफ0सी0आई0 गोदाम के पास सैनिक नगर गंगापुर सिटी (प्रोपराईटर) मैसर्स मोहन मेडीकल स्टोर हॉस्पिटल रोड गंगापुर सिटी
2. महावीर शर्मा पुत्र बनवारी लाल शर्मा निवासी ई 109 बैंक कालोनी मुरलीपुरा स्कीम जयपुर (प्रोपराईटर) मैसर्स महेश सेल्स कार्पोरेशन प्लॉट नं0 ए 51 शंकर विहार एक्सटेंशन मुरलीपुरा स्कीम सीकर रोड, जयपुर।
3. मैसर्स महेश सेल्स कार्पोरेशन प्लॉट नं0 ए 51 शंकर विहार एक्सटेंशन मुरलीपुरा स्कीम सीकर रोड, जयपुर।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

निर्णय दिनांक.01/05/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 16/09/2016 को समय 03:00 पी0एम0 पर मैसर्स मोहन मेडीकल स्टोर हॉस्पिटल रोड गंगापुर सिटी पर पहुँचा । वहां पर खेमचन्द गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता उम्र 51 वर्ष निवासी महेन्द्र उद्योग एफ0सी0आई0 गोदाम के पास सैनिक नगर गंगापुर सिटी उपस्थित था ,विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **weight Gainer (Enrich Mass)** 500 ग्राम के लगभग 20 डिब्बे दुकान में रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **weight Gainer (Enrich Mass)** 500 ग्राम के 4 डिब्बे वास्ते नमूना जांच क्रय कर राशि 1040/– रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ **weight Gainer (Enrich Mass)** का बराबर–बराबर नियमानुसार चार नमूना तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम वार्ड बॉय ,द्वारा खाद्य विश्लेषक ,कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2017/74 दिनांक 11.01.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 195 /एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2016/444 दिनांक 26/12/2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **weight Gainer (Enrich Mass)** 500ग्राम मिसब्राण्ड पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 195 /एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2016/444 दिनांक 26/12/2016 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **weight Gainer (Enrich Mass)** का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26

की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित।

अभियुक्त ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं किया गया है। प्रार्थी को पेरशान करने के लिए गलत प्रकार से मिसब्राण्ड बताया गया है। आवेदक द्वारा खाली पेपरों पर मेरे हस्ताक्षर लेकर उनका दुरूपयोग किया है, साथ ही अभियुक्त ने उक्त प्रकरण कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 195 /एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/ 2016/444 दिनांक 26/12/2016 का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ **weight Gainer (Enrich Mass)** मिसब्राण्ड का निर्माण व विकय करने का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त सं0 1 को 5000 (पांच हजार) रू0 तथा अभियुक्त सं0 2 लगायत 3 को 10000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 01/05/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ध्रुव वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी